

फॉर्म अहकाम

(नियम 28)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोंही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पॉंडेंट


श्री सुखचैन सिंह पुत्र श्री कौर सिंह
निवासी डाबा झल्लार तहसील सूस्तगढ
जिला श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला, सिरोंही

क्रिसम मुकदमा- अपील अन्तर्गत घारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 72 जर्म 2018

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	लोक सूचना अधिकारी को हुक्म हुक्म को तारीख में जारी है
04.12.2018	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पॉंडेंट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मागी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 17.10.2018 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2012 लेवल 2 विषय सामाजिक विज्ञान रोल नम्बर 80200755 में भाग लिया था। जिसमें दिनांक 30.04.2018 को दस्तावेज जॉच के बाद अंतिम कट-ऑफ समान्य एवं ओ.बी.सी. श्रेणी के अको संबंधी सूचना की प्रमाणित सूचना लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सिरोंही से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयबाधि में उसे जारी नहीं सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10/- लोक सूचना अधिकारी को जमा करा दिये हैं फिर भी उसके द्वारा दिनांक 17.10.18 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जिसमें तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2012 लेवल 2 विषय सामाजिक विज्ञान रोल नम्बर 80200755 में भाग लिया था। जिसमें दिनांक 30.04.2018 को दस्तावेज जॉच के बाद अंतिम कट-ऑफ समान्य एवं ओ.बी.सी. श्रेणी के अको संबंधी से प्रमाणित सूचना लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोंही से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोंही के अपील अधिकारी जिला कलक्टर नहीं हैं। अतः अपीलांत की अपील खारिज की जाती है। अपीलांत चाहे तो सक्षम अधिकारी को अपील करे। पत्रावली फौसल शुमान होकर नंबर से कम हो।</p>	


(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर, सिरोंही